सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र सोमवार, दिनांक 30 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
पंचम सत्र	4	अगस्त माह - 30 एवं 31 सितम्बर माह - 1 व 3

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री ने दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को सरपंचों पर हुए लाठी चार्ज एवं कथित रूप से गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य पंचम सत्र में दिनांक 31 अगस्त, 2010 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का प्रश्न उठाया कि विधान सभा सचिवालय से प्राप्त बुलेटिन में आज लिए जाने वाले विधेयकों के नामों का उल्लेख करते हुए दिनांक 31.8.2010 के प्रातः 10.00 बजे तक संशोधन देने की सूचना दी गई है । श्री तिवाड़ी ने कहा कि जब तक कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के पश्चात् जब तक स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक वह सदन द्वारा अनुमोदित नहीं होता। प्रक्रिया के नियम 215 के अनुसार जब तक यह या तो एज इट इज स्वीकार होगा, या उसमें संशोधन किया जायेगा, या उसको वापस लेने के लिए कहा जायेगा। पुनः कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, तो स्वीकार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन प्रस्तुत किया हुआ है अतः पहले उस पर विचार हो, यदि वह स्वीकार होता है तो पुनः बी.ए.सी. में विचारार्थ रखा जायेगा, तब तक यह आज और कल का कार्य हम नहीं ले सकते।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि 'दिनांक 30.8.2010 को दिनांक 31.8.2010 की कार्य सूची, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन व आज विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयकों पर संशोधन देने हेतु नियमों को शिथिल करते हुए आज प्रातः 10.00 बजे तक देने का बुलेटिन भिजवा दिया। इसमें अंकित किया गया था कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित होने तक गोपनीय रखा जाये तथा इसकी प्रतियां केवल मात्र माननीय सदस्यों को ही भिजवाई गई हैं, जहां तक

संशोधन देने की बात है तथा बुलेटिन का प्रश्न है, वह इसलिए भिजवाया गया था कि नियमों में 24 घण्टे पहले संशोधन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, अतः नियमों में शिथिलता नहीं दी जाती, तो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते, अतः माननीय सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई, जो उचित है। अतः माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री राजेन्द्र राठौड़ व अन्य सदस्यों द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य पंचम सत्र में 97 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1551 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 596 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 67 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। महिला सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती निर्मला, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल तथा श्रीमती अनीता सिंह सहित 38 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 8 माननीय सदस्यों ने 9-9 तथा 5 सदस्यों ने 8-8 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 4-4 प्रश्न श्री ओम बिरला तथा श्री रामनारायण मीणा के थे। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 3-3 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्रीमती अनीता सिंह के सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 955 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 84 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्य सर्वश्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, किरण माहेश्वरी एवं अनीता सिंह सहित 20 सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 7-7 प्रश्न श्री रणवीर पहलवान एवं कर्नल सोनाराम चौधरी के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती किरण माहेश्वरी के 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 55 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 54 प्रश्न शिक्षा विभाग, 39-39 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 32 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 7 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 6 प्रश्न शिक्षा विभाग, 5 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 4 प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 89 प्रश्न शिक्षा विभाग, 63 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 56 प्रश्न जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं 51-51 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 8 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 7 प्रश्न शिक्षा विभाग तथा 6-6 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 20 माननीय सदस्यों के 27 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई,

इनमें से 4 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 18 सदस्यों ने 23 प्रस्ताव तथा माकपा के 2 सदस्यों ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। 4 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 6 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये। सर्वश्री अमरा राम, राव राजेन्द्र सिंह, पेमाराम, राधेश्याम गंगानगर, राजेन्द्र राठौड़, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक 2-2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 34 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 22 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 12 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 तथा माकपा के 3 सदस्यों ने सूचना प्रस्तुत की। पाँच महिला सदस्यों, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी तथा 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं, ने भी सूचना प्रस्तुत की । सभी 34 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 9 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 9 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से श्री अजय सिंह तथा श्री राजेन्द्र राठौड़ के विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। विषय उठाने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय सदन में उठाया गया । पर्ची के द्वारा उठाये जाने वाले विषयों में एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने एक विषय सदन में उठाया ।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 31 अगस्त, 2010 को शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एवं कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने से व्यवधान हुआ। इसी दिवस 3 बजकर 24 मिनिट पर प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी करने से घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा इसके पश्चात् सदन की बैठक दो बार आधे-आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।
2. दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज एवं कथित रूप से गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के दौरान पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी एवं शोर शराबा करने से अव्यवस्था हुई।
3. दिनांक 3 सितम्बर, 2010 को प्रश्नकाल के दौरान अव्यवस्था उत्पन्न होने से सदन की बैठक 11 बजकर 13 मिनिट पर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। बैठक पुनः समवेत होने के पश्चात् भी प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी की गई।

सदन में धरना

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने समीक्ष्य सत्र में दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज एवं कथित रूप से गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में सदन की वैल में धरना दिया ।

सदन से बहिर्गमन

दिनांक 31 अगस्त, 2010 को शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी व भारतीय कम्प्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

पंचम सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 13, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बम्धी समिति के 9, राजकीय उपक्रम समिति के 8, प्राक्कलन समिति 'ख', याचिका समिति एवं कार्य सलाहकार समिति के 2-2 तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण सम्बन्धी समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये ।

विधायी कार्य

सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
18/2010	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	31.8.2010	31.8.2010
19/2010	राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	31.8.2010	31.8.2010
20/2010	जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	31.8.2010	31.8.2010
21/2010	जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	31.8.2010	31.8.2010
22/2010	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	1.9.2010	1.9.2010
23/2010	राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	1.9.2010	1.9.2010
24/2010	राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	3.9.2010	3.9.2010
25/2010	राजस्थान पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	31.8.2010	3.9.2010	3.9.2010

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य पंचम सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[30.10.2010]	
1. श्री भैरोंसिंह शेखावत	पूर्व उप राष्ट्रपति एवं पूर्व मुख्य मंत्री	15.05.2010
2. श्रीमती प्रभा राव	राज्यपाल, राजस्थान	06.04.2010
3. श्री कृष्णलाल बाल्मिकी	सांसद, राज्य सभा	20.04.2010
4. श्री रामरतन बैरवा	पूर्व सदस्य, बारहवीं राजस्थान विधान सभा	21.04.2010
5. श्री हरीश शर्मा	पूर्व सदस्य, 6, 7 तथा 8वीं राजस्थान विधान सभा	19.05.2010
6. मेजर फतेह सिंह	पूर्व सदस्य, 2, 4 तथा 6वीं राजस्थान विधान सभा	16.06.2010
7. श्री पुखराज कालानी	पूर्व सदस्य, 4 तथा 5वीं राजस्थान विधान सभा	15.08.2010
8. श्री गोविन्द सिंह	पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा	19.05.2010
9. मंगलौर विमान हादसे के मृतकों के प्रति संवेदना		22.05.2010
	[03.09.2010]	
9. श्रीमती नगेन्द्र बाला	पूर्व सदस्य, 3 तथा 5वीं राजस्थान विधान सभा	01.09.2010

✧✧✧